ISSN Print: 2394-7500
ISSN Online: 2394-5869
Impact Factor: 8.4
IJAR 2021; 7(6): 393-396
www.allresearchjournal.com
Received: 09-04-2021
Accepted: 19-05-2021

सपना कुमारी
शोधार्थी, गृह विज्ञान विभाग,
जय प्रकाश विश्वविद्यालय,
छपरा, बिहार, भारत

Corresponding Author:
सपना कुमारी
शोधार्थी, गृह विज्ञान विभाग,
जय प्रकाश विश्वविद्यालय,
छपरा, बिहार, भारत

महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण में स्वयं सहायता समूह का योगदान

सपना कुमारी

सारांश
स्वयं सहायता समूह की अवधारणा का विकास मुख्यतः गरीबों के सामाजिक आर्थिक उत्थान हेतु हुआ है और इसका सर्वाधिक प्रभाव महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर पड़ा है। स्व सहायता समूह द्वारा चलाई जानेवाली सभी प्रमुख गतिविधियाँ जैसे बचत, ऋण प्राप्ति, आय अर्जन हेतु प्रशिक्षण व रोजगार आदि आर्थिक क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं। वस्तुतः महिला सशक्तिकरण का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ होना है जो उनमें स्वावलम्बन और आत्मविश्वास की भावना उत्पन्न करता है। आर्थिक रूप से सशक्त महिला स्वयं अपने, अपने बच्चों एवं परिवार की शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण व मौलिक आवश्यकताओं को पूरा करने में अधिक समर्थ होती है।

मुख्य शब्द: महिलाओं, सामाजिक, आर्थिक सशक्तिकरण, सहायता समूह का योगदान

प्रस्तावना
नारी मानव जाति की जननी और दो पीढ़ियों को जोड ने वाली एक कड़ी है। भारतीय संस्कृति में समाज के इस हिस्से को सदैव ही अधिक महत्व दिया गया है। वैदिक काल में तो महिलाओं को 'देवी' तुल्य समझा जाता था परन्तु मुगल साम्राज्य की स्थापना के बाद ब्राह्मणों द्वारा हिन्दू धर्म की रक्षा एवं स्त्रियों के सतीत्व तथा रक्त की शुद्धता बनाए रखने हेतु महिलाओं के संबंध में नियमों को कठोर बना दिया गया था । महिलाओं ने भी इन आदर्शो को अपने जीवन में लागू करने में संकोच का अनुभव नही किया। महिलाओं की आर्थिक पराधीनता, पर्दाप्रथा के कारण अशिक्षा एवं संयुक्त परिवार की सुद्वढ़ता हेतु महिलाओं को दबाकर रखने की प्रवृति ने भारत में महिलाओं की स्थिति को निरन्तर बना दिया। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 द्वारा महिलाओं को भी पुरूषों के समान संपत्ति में अधिकार प्रदान किया गया। इन प्रयासों के फलस्वरूप महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियों में अनेक परिवर्तन हुए। फिर भी स्थिति संतोषप्रद नही कही जा सकती है। क्योकि वर्तमान समय में भी सिद्धान्त एवं व्यवहार में भिन्नता पायी जाती है। भारतीय संविधान पुरूषों व महिलाओं के बीच अधिकारों की मान्यता देता है, परन्तु निर्विवाद रूप से स्त्रियों को भूमिका व क्रिया में भेद स्वीकार करता है।

संविधान गत समानता की व्यवस्था महिलाओं की स्थिति संवैधिनिक दृष्टि से तो सुद्वढ़ हो गई किन्तु वास्तविक रूप में आज भी महिलाएँ शोषण व उत्पीड़न की शिकार बनी हुई है। महिलाओं की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए उनकी सामाजिक रूपरेखा को जानना अति आवश्यक है।

हापके (1992) के अनुसार - ''आर्थिक स्वतत्रंता से सशक्तिकरण प्रारंभ होता है।'' विगत कुछ वर्षो में स्व सहायता समूहों के माध्यम से लघु ऋण कार्यक्रम अत्यधिक लोकप्रिय हो गया है। जे.ए.रूबी (2008) ने आर्थिक सशक्तिकरण की जिन विशेषताओं अर्थात् (i) लघु ऋणों तक आसान पहुँच, (ii) आय में वृद्धि, (iii) धन, साख के इस्तेमाल की आजादी, (iv) गरीबी उन्मूलन, (v) स्वनिर्भरता, का उल्लेख किया है, स्व सहायता समूहों के माध्यम से उन्हें सरलतापूर्वक प्राप्त किया जा सकता है। स्व सहायता समूहों से सम्बद्ध अधिकांश अध्ययन इसकी पुष्टि करते हैं कि समूहों के माध्यम से निर्धन ग्रामीण महिलाओं का सर्वाधिक सशक्तिकरण आर्थिक क्षेत्र में होता है जो उनके जीवन के अन्य सभी पक्षों को प्रभावित करता है। ग्रामीण महिलाओं की क्रय शक्ति, आय व जीवन स्तर में वृद्धि व सुधार स्व सहायता समूहों के कारण संभव हुआ है। अध्ययन हेतु चयनित उत्तरदाताओं के आर्थिक सशक्तिकरण में स्व सहायता समूहों के योगदान का विश्लेषण इस प्रकार किया जा सकता है -

समूह द्वारा संचालित आर्थिक गतिविधियों के प्रकार– हेमेलता प्रसाद एवं ओमेमप्रकाश (1997) ने लिखा है कि महिलाओं द्वारा चूजों का पालन एवं अंड़ो का विक्रय, सब्जियों का उत्पादन और विक्रय, महुआ एकत्रित कर विक्रय, मछली पालन और विक्रय, सिलाई कार्य, बांस की टोकरी बनाना, किराना व मनिहारी दुकान, बकरी पालन इत्यादि गतिविधियाँ समूह द्वारा चलाए जाते हैं। नाबार्ड (1997) के एक अध्ययन में अध्ययनकर्ताओं ने समूहो को केवड़े की पत्तियों से चटाई बनाना, अगरबत्ती बनाना, स्कूल बैग बनाना, मशरूम उत्पादन और दूध की जांच संबंधी कार्यो में संलग्न पाया। हसलकर (2005) ने समूहों को दोनापत्तल निर्माण में सक्रिय पाया। बालू (2005) समूह के सदस्यों को फाईल, रिसाइकिल किए हुए सामान से कागज की थैली, विजिटिंग कार्ड और लिफाफा बनाते हुए पाया। वे नक्काशी, अनाज उत्पादन, सिलाई कढ़ाई और केक बनाने के काम में व्यस्त थे। मीती (2008) के अनुसार स्व सहायता समूह के सदस्यों ने अगरबत्ती बनाना, पापड़ बनाना, जूता बनाना, रेशम का सूत कातना, शाॅल की कसीदाकारी, रेशम की रंगाई, सिलाई और कशीदाकारी, फलों का संरक्षण और अपशिष्ट पदार्थ से उपयोगी पदार्थ बनाने का काम हाथ में लिया था।

यह कहा जा सकता है कि सर्वाधिक समूह खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित आर्थिक गतिविधियों का संचालन कर रहा है। महिला और बाल विकास विभाग की ओर से आंगनबाड़ी के बच्चों को पोषण आहार वितरित किया जाता है जो ''रेडी टू ईट'' नाम से जाना जाता है। स्व सहायता समूहों द्वारा इन्ही फूड पैकेटों की आंगनबाड़ी में आपूर्ति की जाती है। शेष अन्य समूह भी बटेर एवं मुर्गी पालन, दोना पत्तल निर्माण, ईट व खपरैल निर्माण, किराया भंडार आदि का संचालन कर आर्थिक गतिविधियों में संलग्न हैं।

समूह को होने वाली मासिक आमदनी– ज्योतिमनी औरैर सीतालक्ष्मी (1995)(8) ने अपने अध्ययन में पाया कि समस्त आय अर्जन की गतिविधियों से समूह को 2989 रूपये प्राप्त हुए थे। उषारानी (1999) के अनुसार ड्वाकरा समूह की महिलाओं ने सामूहिक रूप से आय अर्जन की गतिविधियों के अंतर्गत बकरी पालन में 1033.33 रू. एवं सिलाई कार्य से 8400 रू. प्राप्त किए थे। राव (2005) के अनुसार उत्तरदाताओं को अधिकतम आसैत वार्षिक आय घरेलू अचार व पापड़ के द्वारा 45600 रू. व निम्नतम आय 38600 रू. चॉक बनाने संबंधी गतिविधि से प्राप्त हुए थे। अध्ययनगत समूह के आय अर्जन की गतिविधियों से प्राप्त मासिक आमदनी के संबंध में प्राप्त आंकड़ों से पता चलता है।

स्पष्ट है कि 42.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं के समूहों की मासिक आमदनी 8000 रू.से अधिक है। 31 प्रतिशत उत्तरदाताओं के समूहों की मासिक आमदनी 6001-8000 के बीच, 19 प्रतिशत उत्तरदाताओं के समूहों की आमदनी 4001-6000 के बीच एवं 7.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं के समूहों की मासिक आमदनी 2000-4000 रूपये के बीच है। इससे यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि स्व सहायता समूहों के माध्यम से अधिकांश उत्तरदाताओं को कम आमदनी प्राप्त हो रही है जिसके कारण वे अपने जीवन स्तर में अपेक्षित सुधार नहीं कर पा रहीं हैं।

आमदनी से होनेवाली राशि का विभाजन– स्व सहायता समूह द्वारा आय अर्जन की गतिविधियों में कुछ सदस्य अधिक सक्रिय होते हैं और कुछ सदस्य पारिवारिक परिस्थिति, स्वास्थ्यगत कारणों से कम क्रियाशील होते हैं। समूह को आर्थिक गतिविधियों के संचालन से प्राप्त होनेवाली आय और लाभों का विभाजन इन सदस्यों के बीच किया जाता है।

इससे स्पष्ट होता है कि 50 प्रतिशत उत्तरदाताओं के समूहों में जो सदस्य जितने दिन उत्पादन कार्य करती है उसे उतने दिनों

की मजदूरी दे दी जाती है और उसके पश्चात् होनेवाली आमदनी को बराबर भागों में बांट दिया जाता है। 26.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं के समूहों में होनेवाली आमदनी एवं लाभ को सभी सदस्यों में बराबर बराबर बांट दिया जाता है। इन समूहों के सभी सदस्यों के कार्यदिवस समान होते हैं। 23.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं के समूहों में जो सदस्य जितना उत्पादन कार्य करती है उससे प्राप्त होनेवाली आमदनी वही रखती है। प्रत्येक माह की मासिक बचत से आवश्यकतानुसार सदस्यों द्वारा ऋण लिया जाता है। राशि कम होने की स्थिति में समूह को आवेदन कर बैंक से भी ऋणलिया जाता है।

इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि समूहों में प्राप्त होनेवाली आमदनी की राशि के विभाजन का तरीका अलग अलग है। इसमें कुछ समूहों में होनेवाली आमदनी एवं लाभ को सभी सदस्यों में बराबर बराबर बांटा जाता है तथा कुछ समूह के सदस्यों को उनके परिश्रम के अनुसार भुगतान व सामूहिक आय से भी कुछ राशि प्राप्त होती है जो उनके जीवन स्तर को उच्च बनाने में सहायक सिद्ध होती है।

प्राप्त राशि से आवश्यकताओं की पूर्ति होना– स्व सहायता समूह द्वारा संचालित आय अर्जन की गतिविधियों से सदस्यों को जो आमदनी होती है उससे वे अपनी किन किन आवश्यकता की पूर्ति कर पाती हैं इस संबंध में उत्तरदाताओं से प्राप्त आंकड़ों से ज्ञात होता है कि सर्वाधिक उत्तरदाताओं (46.5 प्रतिशत) की कुछ ही आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। 33 प्रतिशत उत्तरदाताओं की कुछ प्रमुख आवश्यकता जैसे बच्चों की पुस्तकें-कापी, घरेलू सामान आदि की एवं 20.5 प्रतिशत की अन्य आवश्यकता जैसे घर के लिए मंहगी वस्तुओं गैस, पंखा, पलंग, अल्मारी आदि की खरीदी संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है।

अतः कहा जा सकता है कि स्व सहायता समूहों ने महिलाओं को आय अर्जित करने की क्षमता प्रदान कर उन्हें घर के विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति में सहयोग करने योग्य बना दिया है जिसका लाभ जीवन स्तर की वृद्धि के रूप में परिलक्षित होता है।

समूह के माध्यम से नियमित मासिक आय प्राप्त होना– समूह द्वारा आय अर्जन करने संबंधी कुछ गतिविधियाँ ऐसी होती हैं जो वर्षभर चलाई जा सकती हैं जैसे पशुपालन, पोल्ट्री, बैग बनाना, सिलाई कार्य, मधुमक्खी पालन इत्यादि जबकि कुछ गतिविधियाँ ऐसी होती हैं जो ऋतु और साधनों के उपलब्धता के अनुरूप होती है जैसे ईंट व खपरे का निर्माण, फलों का उत्पादन, सब्जी व अनाज का उत्पादन इत्यादि। नियमित चलनेवाली गतिविधियों से उत्तरदाताओं को निरंतर मासिक आय प्राप्त होती है लेकिन मौसमी कार्यो/साधनों की अनुपलब्धता से सदस्यों के निरंतर आय प्राप्ति में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। समूह द्वारा आय अर्जन गतिविधियों से प्राप्त होनेवाली आय की निरंतरता के संबंध में उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि 50 प्रतिशत उत्तरदाताओं को समूह द्वारा संचालित आय अर्जन संबंधी गतिविधियों से नियमित रूप से मससिक आय प्राप्त नहीं होती है जबकि 50 प्रतिशत उत्तरदाताओं को नियमित मासिक आय की प्राप्ति होती है।यह कहा जा सकता है कि समूह द्वारा संचालित आय अर्जन संबंधी गतिविधियों में सुधार एवं विकास की आवश्यकता है जिससे सदस्यों को एक नियमित व पर्याप्त आय एक निश्चित अवधि में प्राप्त हो सके ताकि वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति निर्बाध रूप से कर सकें। इसके लिए बैंकों, गैर सरकारी संगठनों और सरकारी एजोन्सियों को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

आय वृद्धि हेतु प्रयास– आय अर्जन की गतिविधियों से जुड़े स्व सहायता समूहों को अनेक कठिनाईयों जैसे कच्चे माल की अनुपलब्धता, संसाधनों का अभाव, उत्पादित वस्तुओं को बेचने की समस्या आदि का सामना करना पड़ता है। साथ ही कुछ व्यवसाय वर्षभर नहीं चलाए जा सकते है जिसके कारण ऐसे समूह निरंतर आय प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं आय की निरंतरता एवं वृद्धि हेतु विशेष प्रयास करना ऐसे समूहों का उद्देश्य होता है। अध्ययन हेतु चयनित जिन स्व सहायता समूहों को नियमित आय की प्राप्ति नहीं होती है उनके द्वारा इस दिशा में किए जाने वाले प्रयास से स्पष्ट है कि 47 प्रतिशत अधिक बचत करके, 22 प्रतिशत उत्तरदाता प्रशिक्षण प्राप्त कर कौशल का विकास करके, 21 प्रतिशत उत्तरदाता शासकीय योजनाओं की जानकारी व उसमें भाग लेकर एवं 10 प्रतिशत उत्तरदाता कम मूल्य में कच्चा माल प्राप्त करके उत्पादित वस्तुओं को अधिक मूल्य में बेचकर समूह के माध्यम से अपनी आय में वृद्धि हेतु प्रयास कर रहे हैं। नियमित आय प्राप्त न कर सकने वाले समूह भी प्रशिक्षण द्वारा अपने कौशल को बढ़ाकर, अधिक बचत करके, बैंको व अन्य संस्थाओं से ऋण प्राप्त करके, शासकीय योजनाओं की जानकारी एवं उसमें भागीदारी हेतु प्रयत्न एवं कम मूल्य के कच्चे माल से उत्पादन कर उसे अधिक मूल्य में बेचने जैसी गतिविधियों द्वारा आय वृद्धि की दिशा में प्रयास कर रहे हैं जो इनकी आर्थिक गतिविधियों में अधिक सजगता व बढ़ती हुई रूचि को दिखाता है। बैंक, गैर सरकारी संगठन व शासकीय विभागों के

कर्मचारियों का अल्प सहयोग इन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बना सकता है।

पूर्व की तुलुलना में आय वृद्धि की सीमा– स्व सहायता समूहों द्वारा आय वृद्धि हेतु किए जा रहे प्रयासों से उनके आय में कितनी वृद्धि हुई है इससे इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि अधिकांश उत्तरदाता आय की वृद्धि को पर्याप्त नहीं मानती हैं, अतः ऐसे समूहों के उत्तरदाताओं को विशेष प्रयास करने एवं प्रशिक्षण प्राप्त कर क्षमता निर्माण करने की आवश्यकता है।

अधिकांश अध्ययनों द्वारा यह स्पष्ट होता है कि स्व सहायता समूह के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं के जीवन का प्रत्येक पक्ष सशक्त हुआ है। उनकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व पारिवारिक स्थिति सुदृढ़ हुई है। इंदिरा देवी (2004) ने पाया कि जो समूह संस्था के नियमों का पालन करते हैं वे सफल होते हैं और लिंग केन्द्रित कारणों के द्वारा अधिक सफल होते हैं। अध्ययन हेतु चयनित सभी समूह लिंग केन्द्रित (महिला) हैं तथा बताए गए नियमों का ये निष्ठा से पालन भी करते हैं अतः ये समूह महिलाओं का सशक्तिकरण करने में कितने सफल हुए हैं तथा महिलाएं स्वयं को समूह के माध्यम से कितना सशक्त हुआ मानती है।

वर्तमान अध्ययन उस दिशा में तथ्य और आंकड़ों के आधार पर दिशा निर्देश तथा एक सशक्त पक्ष प्रस्तुत करेगा क्योंकि प्रथम दृष्टियाँ ऐसा प्रतीत होता है कि संविधान निर्माताओं की अपेक्षाओं के अनुसार जहाँ जिस सीमा तक स्त्रियों को समानता, स्वतंत्रता, मर्यादा और शासन तंत्र में अधिकता प्रदान की गई है, उस सीमा तक जिला प्रशासन ने सकारात्मक पहल की है और प्रावधानों को कार्यरूप में परिणत किया है साथ ही स्त्री समाज ने भी अपेक्षित लाभ उठाकर अपनी समानुपाति सहभागिता स्थापित की है। जिससे सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का मार्ग प्रस्तुत हुआ है, स्त्रियों में राजनीतिक जागरूकता आयी है। स्त्रियों विनिर्णय की प्रक्रिया में भागीदार बनी है जिससे स्त्री अधिकारिता की दिशा में प्रगति हुई है। साथ ही मानव सभ्यता का विकास हुआ है।

निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि समूह की क्रियाओं में भाग लेकर महिलाएँ विभिन्न कार्यों से जुड़कर विकास के नये आयाम से जुड़ गयी हैं तथा समूह के स्तर पर नेतृत्व करने के साथ - साथ परिवार एवं समुदाय के स्तर पर नेतृत्व करने की क्षमता भी उभरी है। महिला सशक्तिकरण का प्राथमिक उद्देश्य ही यह है कि उनको अपने अधिकारों के प्रति सशक्त किया जाय और परिवार में निर्णय के स्तर पर ज्यादा से ज्यादा भागीदारी बढ़ाई जाये।

इस प्रकार ग्रमीण महिलाओं को स्वावलम्बी और आत्मनिर्भर बनाने में स्वयं सहायता समूह महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, जिसके अन्तर्गत स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसके तहत अब तक 30 हजार से ज्यादा स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जा चुका है। विभिन्न तथ्यों से स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं, कि इन्हीं समूहों के माध्यम से महिलाओं पर किये गये घरेलू हिंसा तथा शोषण पर प्रभावशाली ढंग से रोक लगायी गई है, जिससे समाज में महिलाओं की स्थिति में कुछ हद तक सुधार भी आया है। अतः स्वयं सहायता समूह ने महिलाओं को विकास की मुख्य धारा से जोड़कर उनके सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक जीवन में क्रान्तिकारी परिवर्तन कर सशक्तिकरण की दिशा की ओर उन्मुख किया है, जिससे ग्रामीण महिलाएँ अपनी एक विशेष पहचान तो बना ही रही हैं, साथ ही साथ गाँव के विकास में अहम भूमिका भी निभा रही हैं, जो कि सराहनीय है।

संदर्भ

1. Ruby JA. Op. cit. 1pp.
2. Prasad, Hemalatha G, Omprakash; Sustainable employment for women,Mahila Chetna munch Shows the way, Gramin Vikas News letter. 1997;13(6):13-15.
3. NABARD; As the darkness fades away, NABARD, Trivendram, 1997.
4. Hasalkar, Suma, Rao, Suhasini and Badiger, Chhaya; Enterprenuership qualities of members of self help group Dharwad District of Karnataka state, Journal of social sciences interdisciplinary Reflection of contemporary society. 2005 Nov;2:229-231.
5. Balu; Developing women entreprenuership through self-help groups, SE DME (Small Enterprises Development, Management and Extension Journal) 2005 June, 49-56pp.
6. Meeti KI. Microfinance throught self-help groups-The realities in economic operations, Indian Cooperative Review, 2008 Jan, 169-202.
7. Jothimani G, Sitalakshmi S. Income generation under development of women and children in rural arlas (DWCRA) Programme. Journal of extension Education. 1995;6(1):8-14.
8. Usharani R. A study on opinion of women beneficiaries toward DWCRA and benifits derived in Vijaynagram District, Andhra Pradesh, University of Agricultural Sciences, Dharwod, 1999, 44-46.
9. Rao VM, Building co-operative entrepreneurship through dairy co-operative in Ajmer, The co-operator. 2005;45(5):231-234.
10. Devi Indira. Self-help groups: A sociological perspective, Andhra University Press and Publication, Visakhapatnam, 2004.
11. Hapke MH. Op. cit, 62.